Dr. Seema Kumari
Asst. Prof. (Pol sc.), RMC, VKSU.

BA. 2. Paper - 3. Indian Government and Politics.

Date - 19.01.2022.

मूल अधिकार (Fundamental Rights).

मूल (मौलिक) अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) व नैतिक (आध्यात्मिक/धार्मिक) विकास हेतु आवश्यक है। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ-साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आपत्ति को सुनिश्चित करते हैं। संविधान के भाग - 3 में आर्टिकल 12-35 तक इनका उल्लेख है।

मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 FRs हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को इस सूची से हटाकर अनु० 300(क) में कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

मूल अधिकारों की विशेषता :-

1. मूल अधि. न्यायोचित हैं, इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय में अपील की जा सकती है।
2. FRs को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है।
3. FRs व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है।
4. FRs असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

5. यह अधिकार स्थायी नहीं है अर्थात संसद अनु. 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति से इनको घटा बढ़ा सकती है।

6. राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352) के दौरान Art 20 व 21 को छोड़कर समस्त FR निलंबित किए जा सकते हैं।

संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार :-

1. Art. 14-18 - समानता का अधिकार (5)
2. Art 19-22 - स्वतंत्रता का अधिकार
3. Art 23-24 - शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. Art 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. Art 29-30 - संस्कृति और शिक्षा संबंधी अ०
6. Art 32 संवैधानिक उपचारों का अधि०

आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा - FR के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है क्योंकि यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं।

राज्य में शामिल है, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। राज्य सरकार के विधायी अंग स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायतें, जिला का सुधारन्यास आदि। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण।

किसी भी ऐसा निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में आती है।

→